

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चितौडगढ़ (राज0)
प्रार्थना पत्र संख्या :- 103/2025 दिनांक 22/5/25

अनवान

2025/270

प्यारचंद पिला मांगीलाल कौल
निगसी देहिया ल० बेई प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

लादलाल पिला रामचन्द्र कर्जु उर्गौर
निपाली काटून्हा ल० बेई विपक्षी/विपक्षीगण

:- आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने:-

न्यायालय में अविवक्ता श्री V. शारदा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जाँच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जाँच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी नौजा काटून्हा पटवार हल्का काटून्हा की आराजी संख्या 264 कुल कीता-01 कुल रकबा 0.1195 है।

कृषि नूनि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी नौजा काटून्हा पटवार हल्का काटून्हा की आराजी संख्या 264

कुल कीता-01 कुल रकबा 0.1195 है। नूनि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र
कीता-3

५५
उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चितौडगढ़(राज.)

क्रमांक/सरिस्ता/2025/352

प्रार्थना पत्र संख्या/103/25 व अनवान प्यारचंद पिला प्रार्थना पत्र अ०ध० 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्तु पालनार्थ दी जाती है।

दिनांक :- 28/5/25

५५
उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चितौडगढ़(राज.)

नोट- अगर कौन भी इसकी विपक्षी है तो उसे
विपक्षी के पक्ष में मौके पर ही उपस्थित होना।